

3812  
04/02/09

पत्रांक आयु0क0उत्तरा0/विधि-अनुभाग/वाणिज्य कर/देहरादून/2008-09

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड  
(विधि-अनुभाग)

दिनांक :: देहरादून 04 फरवरी '09

समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0) वाणिज्य कर/  
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर/  
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष पैराशूट नारियल के तेल पर करदेयता से सम्बन्धित मामला विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सर्वश्री बाम्बे आयल इण्ड0(प्रा0) लि0, कानपुर बनाम कमिश्नर, व्यापार कर, उ0प्र0 2008 एन0टी0एन, (वाल्सूम-38)-82 में अपना मत दिया है। इस मामले में याची द्वारा पैराशूट नारियल तेल को खाद्य तेल की भाँति मानते हुए करदेयता निर्धारित किये जाने पर बल दिया गया था। उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि :-

“In CCE vs. Krishna Carbon Paper Co. AIR 1988 SC 2223 it has been held that consumers understanding of the expressions used in legislation relating to them is also an input in judicial construction. Emphasis has been laid in construing entries of goods in Excise, Customs, Octroi or Sales Tax Act. Resort should normally be had not to the scientific or technical meaning but to their popular meaning i.e. the meaning attached to the expressions used by those dealing in them.”

पैराशूट नारियल तेल पर कर की दर के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निम्न मत व्यक्त किया गया है :-

“Taking into consideration the principle delineated above applicable to the interpretation of entries in fiscal statute, parachute coconut oil is liable to be classified and taxed under the entry of ‘cosmetic and toilet requisites of all kinds.’ It is being represented by the dealer as hair oil through advertisement and writing on the

-2-

packing to the public. A judicial notice can be taken that the edible oil is not sold in a small packing of 200 or 500 ml. It is also relevant that the product in question has been sold much above the prevailing price of the edible oil. The product is being meant for application on hair to make them dark and long. Invoking the principle of common parlance and the usability of the product, in my opinion, it would be appropriate to tax the product in the category of 'all kinds of cosmetics and toilet requisites' being hair oil."

माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा यह मत भी दिया है कि :-

"The argument that entry of 'oil of all kinds' being specific, the commodity in question will fall in the said entry is not at all attractive for the reason that both the entries i.e. 'oil of all kinds' and 'all kinds of cosmetics and toilet requisites' are general entries as observed by Division Bench of this Court in CST vs. M/s Chawla Stores (supra). The principle 'generabillus specialia derogant' will not be applicable. Parachute coconut oil being hair oil is taxable as cosmetics and toilet requisites and even if there is no perfume or scent, as was alleged by the dealer for the first time before this Court, it is being used as 'hair oil' by the customers."

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप उक्त निर्णय का विधिक रूप से भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा अपने अधिकार क्षेत्र के ऐसे व्यापारी, जिनके द्वारा नारियल तेल आदि की बिक्री की जाती है, के सम्बन्ध में कर की दर के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(एल.एम.पन्त)

आयुक्त कर,

उत्तराखण्ड, देहरादून।




3812

पू०प०सं० दिनांक :: उक्त ::

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
- 3- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जौन देहरादून/कुमाऊँ जौन रुद्रपुर।
- 4- एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 5- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर /हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन/उद्योग व व्यापार संगठन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
- 7- ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/प्र०) वाणिज्य कर हरिद्वार/रुद्रपुर।
- 8- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 9- पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी०ओ०यू० परियोजना कार्यालय, आई०आई०टी० रुडकी।
- 10- संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 11- नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
- 12- नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
- 13- लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
- 14- कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 15- विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

  
आयुक्त कर, 4/7/2009

उत्तराखण्ड, देहरादून।

४